न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 194/18

छुन्ना उर्फ सूरजभान सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम खरौआ हाल निवासी वार्ड नंबर 02 गोहद परगना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

——आवेदक

विरूढ

पुलिस थाना गोहद, जिला भिण्ड

——-अनावेदक

11-06-2018

आवेदक / अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान की ओर से श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे०एम०एफ०सी० गोहद से मूल आपराधिक प्र०क० २३७ / १८ प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान की ओर से श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं०प्र०सं० का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त आवेदक / अभियुक्त की ओर से उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद ने झूंठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त दिनांक 07.04.2018 से न्यायिक निरोध में है। आवेदक के छोटे—छोटे बच्चे हैं। सहअभियुक्त राजेंद्र की नियमित जमानत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी नंबर 16833 / 18 आदेश दिनांक 17.05.18 के द्वारा हो चुकी है। सहअभियुक्त का अपराध आवेदक के अपराध से मिन्न नहीं है। अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये प्रथम जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.04.18 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के आदेश से कस्बा गोहद में धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू की गई थी। दिनांक 03.04.18 को एसडीएम गोहद के हमराह पटवारी संदीप जैन, महेंद्र सिंह, आशीष सेंगर कस्बा गोहद में डयूटी पर थे। करीब एक बजे का समय होगा गोलम्बर तिराहा पर बिल्लू पुत्र धर्मवीर गुर्जर, छुन्ना गुर्जर, निशांत बरैया उर्फ पिंकी, बेदराम जाटव, सचिन जाटव, गंगाराम जाटव, जीतू गुप्ता, राजेंद्र मिर्धा, बाँबी गुप्ता, पंकज गुप्ता, विशाल मांझी, अनिल मांझी, संजीव कोरकू, एवं अन्य करीब 200 लोगों ने अपने हाथों में लाठी डण्डा जैसे घातक हथियार लेकर एकत्रित होकर बल या हिंसा का प्रदर्शन करते हुये नारेबाजी करते हुये जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया गया है।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी संदीप जैन पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट पर से धारा 188, 147, 148, 149 भाठदंठविठ के अंतर्गत आवेदक सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 07.04.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है एवं प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना है तथा आवेदक / अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान को मजदूर पेशा परिवार का कर्ता—धर्ता होना बताया गया है एवं आवेदक / अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होना भी प्रकरण के अवलोकन से दर्शित नहीं है और मामले में सहअभियुक्त राजेंद्र सिंह की नियमित जमानत माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी नंबर 16833 / 18 में पारित आदेश दिनांक 17.05.18 के द्वारा हो चुकी है तथा आवेदक / अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान का मामले में कृत्य नियमित जमानत का लाभ प्राप्त कर चुके सहअभियुक्त राजेंद्र के कृत्य से विशिष्ट रूप से भिन्न नहीं है।

अतः समानता के आधार सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान सिंह की ओर से विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य निम्न शर्तों सहित 50000/— रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश होने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा से उन्मुक्त किये जाने हेतु विधिवत रिहाई आदेश जारी हो।

- 1-The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;
- 2-The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;
- 3- The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him/her from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;
- 4- The applicant shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused;
- 5- The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial; and
- 6- the applicant will not leave india without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be.

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख विधिवत वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद